97

संख्या– /XVIII(II)/2014–20(01)/2014

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
कृषि विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक: 1 ~~जून~~ अगस्त 2014

विषय–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ठ करते हुए अनुरोध कराना है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की व्यवस्था को समाप्त करते हुए भारत सरकार द्वारा नया **भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013** प्रख्यापित किया गया है। यह अधिनियम भारत सरकार की वेबसाईट (www.dolr.nic.in) पर अवलोकनीय है। अधिनियम के प्रस्तर–10 में खाद्य सुरक्षा बनाये रखे जाने के लिए भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव के पूर्व जिलेवार बहुफसलीय सिंचित भूमि के सम्बन्ध में ऐसी अधिसूचना जारी करने की अपेक्षा की गयी है, जिससे यह स्पष्ट हो जाये कि राज्य सरकार जिलेवार सभी योजनाओं के लिए कुल शुद्ध बुआई क्षेत्र का किस सीमा या प्रतिशत तक अधिग्रहण की अनुमति देती है। धारा–10 निम्नानुसार हैः–

धारा–(10) के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा के रक्षोपाय के लिए विशेष उपबंध.–(1) उपधारा (2) में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, इस अधिनियम के अधीन सिंचित बहु–फसली भूमि का अर्जन नहीं किया जाएगा।

(2) ऐसी भूमि का इस शर्त के अधीन रहते हुए अर्जन किया जा सकेगा, कि ऐसा आपवादिक परिस्थितियों में प्रमाण्य अंतिम, उपाय के रूप में किया जा रहा है, जहां उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन किसी जिले या राज्य में सभी परियोजनाओं के लिए किसी भी दशा में ऐसी सीमाओं से अधिक नहीं है, जो समुचित सरकार द्वारा सुसंगत राज्यीय विनिर्दिष्ट कारकों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए अधिसूचित की जाएं।

.....2

(3) जब किसी बहु–फसलीय सिंचित भूमि उपधारा (2) के अधीन अर्जित की जाती है, तब खेती योग्य बंजर भूमि के समान क्षेत्र को कृषि के प्रयोजनों के लिए विकसित किया जाएगा या अर्जित की गयी भूमि के मूल्य के बराबर रकम खाद्य सुरक्षा बढाने के लिए कृषि में विर्निधारण करने के लिए समुचित सरकार के पास जमा कराई जाएगी।

(4) ऐसे किसी मामलें में, जो उपधारा (1) के अंतर्गत नहीं आता है, भूमि का अर्जन ऐसे किसी जिले या राज्य में की सभी परियोजनाओं के लिए किसी भी दशा में कुल मिलाकर उस जिले या राज्य के कुल शुद्ध बुआई क्षेत्र की उस सीमा से अधिक नहीं होगा, जो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, परन्तु इस धारा के उपबंध ऐसी परियोजनाओं की दशा में, जो दीर्घकालीन प्रकृति की हैं, जैसे कि रेल, राजमार्गो, प्रमुख जिला सड़के, सिंचाई नहरें, विद्युत लाइनें, आदि, लागू नहीं होंगे।

अतः इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि कृपया भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–10 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रत्येक जिले की कुल भूमि में से शुद्ध बुआई क्षेत्र की भूमि का प्रतिशत निर्धारित करते हुए तद्नुसार जिलेवार शुद्ध बुआई क्षेत्र की भूमि की सीमा को अधिसूचित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

संख्या–1866(1)/XVIII(II)/2014 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
उप सचिव।